पत्र सं०–6 एस०एस०(6)11 / 2013–2457 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 22 / 5 / 2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अन्तर्गत कुल रुपये 149.96 लाख (रुपये एक करोड़ उनचास लाख छियानवे हजार) मात्र की लागत व्यय पर सामान्य वर्ग के कृषकों/पशुपालकों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–5058, दिनांक–11.12.2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अन्तर्गत कुल रुपये 149.96 लाख (रुपये एक करोड़ उनचास लाख छियानवे हजार) मात्र की लागत व्यय पर सामान्य वर्ग के कृषकों/पशुपालकों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु कृषक, प्रगतिशील डेयरी कृषक, बेरोजगार युवक/युवतियों, जो गव्य व्यवसाय से जुड़े हों अथवा जुड़ने की इच्छा रखते हो, उन्हें राज्य के अन्दर स्थित राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना है।

3. वित्तीय वर्ष 2026–2027 में गव्य प्रक्षेत्र की निम्नांकित विधाओं/कार्यक्रमों में प्रशिक्षण कराया जाना है:–

गव्य प्रबंधन एवं मूल्यवर्द्धन नस्ल पहचान एवं दुधारू मवेशी में दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपाय, हरा चारा उत्पादन, नस्ल सुधार, प्राथमिक उपचार, दुधारू पशु प्रबंधन एवं पशु रोगों के रोकथाम, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध से निर्मित उत्पाद, गव्य विकास एवं पशु प्रबंधन, डेयरी उद्यमिता एवं डेयरी प्रक्षेत्र में स्टार्टअप, इंटिग्रेटेड डेयरी फार्मिंग आदि।

4. प्रशिक्षण के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का चयन गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना अधीनस्थ संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी

द्वारा द्वारा समय–समय पर निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप अपने जिला के भौतिक लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा।

5. योजना का क्रियान्वयन निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/ संबंधित जिला एवं सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय राज्यादेश संख्या–5058 दिनांक 11.12.2025 के द्वारा स्वीकृत योजनांतर्गत प्रशिक्षण शुल्क एवं भाड़ा मद की कुल राशि रू0 32.36 लाख (रूपये बत्तीस लाख छत्तीस हजार) मात्र की राशि के विपत्र को कोषागार द्वारा पारित नहीं किया गया एवं सी0एफ0एम0एस0 प्रणाली अंतर्गत स्वीकृत राशि के विरूद्ध राशि की निकासी नहीं की जा सकी फलस्वरूप सम्पन्न प्रशिक्षण के बकाया प्रशिक्षण शुल्क(प्रशिक्षण संस्थान हेतु) एवं भाड़ा मद की राशि का भुगतान वित्तीय वर्श 2026–27 में स्वीकृत की जाने वाली प्रशिक्षण योजना के तहत प्रस्तावित है।

7. वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रस्तावित योजना के तहत राज्य के अन्दर स्थित सरकारी संस्था यथा डी0एन0एस0, पटना तथा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना में सूचीबद्ध (Empanelled) प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से सभी वर्ग के 1176 प्रशिक्षणार्थी एवं 504 महिला प्रशिक्षणार्थी अर्थात् कुल 1680 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

8. सरकारी संस्था यथा डी0एन0एस0, पटना तथा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना में सूचीबद्ध (Empanelled) प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु बजट उपबंधित/आवंटित राशि अन्तर्गत प्रशिक्षण शुल्क, पाठ्य सामग्री शुल्क, मानदेय, व्यवहारिक भ्रमण एवं ठहरने, खाने के लिए निदेशक, गव्य विकास निदेशाालय, बिहार, पटना अथवा इनके प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निकासी कर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण संस्थान तक जाने एवं वापस आने मद में संबंधित/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी। निदशक (गव्य) इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

9. इस योजना अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को भुगतान की जाने वाली प्रशिक्षण शुल्क का दर रूपये 1100/–प्रति कृषक (प्रशिक्षणार्थी)/प्रतिदिन तथा भाड़ा/परिवहन व्यय हेतु दूरी का आकलन कर अधिकतम रुपये 1500/– प्रति कृषक को भुगतान करने के निमित्त उच्च स्तरीय निर्णय प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की गई है।

10. सामान्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास–उप, मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–003 –प्रशिक्षण, उप शीर्ष–0101 –प्रशिक्षण, विषय शीर्ष 0101.20.03 –प्रशिक्षण व्यय, विपत्र कोड 02–2404000030101 के तहत ₹ 150.00 लाख का बजट उपबंध उपलब्ध है।

11. यह स्कीम एक चालू राज्य स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के

आलोक में इस स्कीम स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)11/2013 के पृष्ठ–176/टि० एवं दिनांक–12.05.2026.

12. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)11/2013 के पृष्ठ–175/टि० डायरी सं०–271, दिनांक–06.05.2026.

13. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

21/5

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)11/2013–2457/पटना–15, दिनांक–22/5/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)11/2013–2457/पटना–15, दिनांक–22/5/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)11/2013–2457/पटना–15, दिनांक–22/5/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, गव्य विकास, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना/संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी/डी०एन०एस०, पटना/स्कोप प्रशिक्षण संस्थान/ईगल भ्यू प्रशिक्षण संस्थान/होटल जीया ग्रांड, पटना एवं श्रीकलश ई०डी०यू० स्कील्स, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)11/2013–2457/पटना–15, दिनांक–22/5/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय, बिहार, पटना के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)11/2013–2457 /पटना–15, दिनांक–22/5/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/योजना शाखा के कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ/महालेखापरीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)11/2013–2457 /पटना–15, दिनांक–22/5/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–1

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अन्तर्गत सामान्य वर्ग के पशुपालकों/कृषकों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण से संबंधित व्यय विवरणी।

विपत्र कोड 02–2404000030101 विषय शीर्ष 20–03

राज्य के अंदर गव्य तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित कार्य विवरण	अनुमानित लागत व्यय राशि (रु० लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार
1680 महिला/पुरूष सदस्यों को गव्य प्रबंधन, हरा चारा उत्पादन, पशु रोगों के रोगथाम, दुधारू मवेशियों में दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपाय एवं मूल्यवर्द्धन से संबंधित प्रशिक्षण (5 दिवसीय)। 1680 दुग्ध समिति/दुग्ध उत्पादकों के सदस्यों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शुल्क, खाने ठहरने, पाठ्य सामग्री, संस्थान शुल्क, मानदेय, व्यवहारिक भ्रमण इत्यादि के लिए प्रति सदस्य प्रतिदिन रु० 1100/– (GST सहित) की दर से 1680 x 1100 x 5 =	92.40	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना या इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
कुल 1680 महिला/पुरूष सदस्यों को प्रशिक्षण संस्थान तक जाने एवं वापस आने के लिए अनुमानित भाड़ा अधिकतम रु० 1500/– के दर से 1680 x 1500 =	25.20	संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी	संबंधित जिला कोषागार
योग :–	**117.60**		

(एक करोड़ सतरह लाख साठ हजार रुपये) मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव

5 Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी–2

वित्तीय वर्ष 2026–27 में विपत्र कोड 02–2404000030101 के विषय शीर्ष–0115.20.03 में उपबंधित राशि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय राज्यादेश संख्या–5058, दिनांक–11.12.2025 द्वारा स्वीकृत गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना के तहत डी०एन०एस०, पटना एवं सूचीबद्व प्रशिक्षण संस्थान यथा स्कोप प्रशिक्षण संस्थान, ईगल भ्यू प्रशिक्षण संस्थान, होटल जीया ग्रांड, पटना एवं श्रीकलश ई०डी०यू० स्कील्स, पटना में कराये गये प्रशिक्षण की प्रशिक्षण शुल्क की राशि रुपये 31.46 लाख (रुपये एकतीस लाख छियालीस हजार) मात्र एवं भाड़ा मद की राशि कुल राशि रुपये 0.90 लाख (रुपये नब्बे हजार) मात्रा यथा कुल 32.36 लाख (रुपये बत्तीस लाख छत्तीस हजार) मात्र की राशि के विपत्रा को कोषागार द्वारा पारित नहीं किया गया एवं सी०एफ०एम०एस० प्रणाली अंतर्गत स्वीकृत राशि के विरूद्ध राशि की निकासी नहीं की जा सकी फलस्वरूप सम्पन्न प्रशिक्षण के बकाया प्रशिक्षण शुल्क (प्रशिक्षण संस्थान हेतु) एवं भाड़ा मद की राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत की जाने वाली प्रशिक्षण योजना के तहत प्रस्तावित विवरणी निम्नवत है :–

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 के बकाया राशि का मद की विवरणी	राशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4
1	निदेशक (गव्य) एवं उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी, मधेपुरा एवं नवादा	वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय राज्यादेश संख्या–5058 दिनांक 11.12.2025 द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण की योजना के तहत पशुपालकों/किसानों को प्रशिक्षण हेतु संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में ले जाने एवं वापस लाने तथा प्रशिक्षण संस्थानों को बकाया प्रशिक्षण शुल्क भुगतान की राशि।	रु० 32.36

(रुपये बत्तीस लाख छत्तीस हजार) मात्र।

सारांश

व्यय विवरणी (1)	:–	रु० 117.60 लाख
यय विवरणी (2)	:–	रु० 32.36 लाख
	कुल योग	**रु० 149.96 लाख**

कुल राशि (रुपये एक करोड़ उनचास लाख छियानवे हजार) मात्र।

21/5

सरकार के संयुक्त सचिव

2457
22/5/26

6 Typed by Sanjay Kumar